

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांक: मु.अ./अनु.ग्यारह/2016-17/डी-235

दिनांक: 15/06/16

परिपत्र

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक: डब्ल्यू.आई.1/आई-13015/पी.28/211-15/976 दिनांक 26.11.2015 के अनुसरण में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट-XI के अन्तर्गत "संविदा की शर्तों" के क्लॉज 45 एवं क्लॉज 45(क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में जिन कार्यों पर मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता हो उन सभी कार्यों में निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर एस्केलेशन की गणना करने के पश्चात ही फाइनल बिल का भुगतान किये जाने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी-718 दिनांक 01.01.2016 तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त पत्र के सन्दर्भ में परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी-34 दिनांक 12.04.2016 द्वारा भी उक्त परिपत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं की अक्षरशः पालना हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया था।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (डब्ल्यू.आई.-1), कार्यालय महालेखाकार (आ. एवं रा. क्षे.ले.प.), राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक: डब्ल्यू.आई.1/पी. डब्ल्यू.डी./13015/के-10/2014-15/134 दिनांक 25.05.2016 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यों में मेटेरियल के दामों में कमी के कारण उत्पन्न नेगेटिव एस्केलेशन की वसूली संवेदकों द्वारा नहीं मांगने/बताने की स्थिति में सा.नि.वि. द्वारा नेगेटिव एस्केलेशन की वसूली संवेदकों से नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार को आर्थिक हानि होना सम्भावित बताया गया है। किसी भी कार्य के एस्केलेशन की गणना किये बिना फाइनल बिल का भुगतान नहीं किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। साथ ही महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा सभी लेखा परीक्षा दलों को विगत 18 माह के समस्त प्रकरणों का विश्लेषण करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिन कार्यों पर मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता हो उन सभी कार्यों में निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर एस्केलेशन की गणना करने के पश्चात ही फाइनल बिल का भुगतान किया जावे। साथ ही इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी-718 दिनांक 01.01.2016 तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त पत्र के सन्दर्भ में परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी-34 दिनांक 12.04.2016 द्वारा भी उक्त परिपत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

EE(D&T)

To keep in record
16/6/16

(जी. एल. राव)

13-6-16

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

दिनांक: 15/06/16

क्रमांक: मु.अ./अनु.ग्यारह/2016-17/डी-235

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (डब्ल्यू.आई.-1), कार्यालय महालेखाकार (आ. एवं रा. क्षे.ले.प.), राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त), राज.।
6. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत्त-कार्यालय), सा.नि.वि., राज.।
8. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, प्रभारी आंतरिक जांच दल (मुख्यालय/समस्त-संभाग), सा.नि.वि., राज. को निर्देशित किया जाता है कि खण्डीय कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच के दौरान विगत 18 माह के ऐसे समस्त प्रकरणों का विश्लेषण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावे।
9. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज.।
11. रक्षित पत्रावली।

(अलोक माथुर)

वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर